# न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 205 / 2013

| प्रार्थी :– | बनाम | अप्रार्थीगण :– |
|---|---|---|
| 1 कमला देवी पुत्री स्व कन्हैयालाल जाति श्रीगौड ब्राह्मण नि0 निमालिया तह0 मारवाड जक्शन हाल पूना (महाराष्ट्र) पाली। | 1 | सायरी पत्नि प्रकाशचंद जाति माली नि0 सोजतसिटी तह0 सोजत जिला पाली |
| | 2 | सचिन शर्मा पुत्र राजेन्द्र शर्मा जाति श्रीगौड ब्राहम्ण नि0 चौगानियों का बास सोजतसिटी तह0 सोजत जि0 पाली |
| | 3 | पुरूषोतम पुत्र स्व कन्हैयालाल जाति श्री गौड़ ब्राहम्ण नि0 पाली रोड सोजतसिटी तह0 सोजत जिला पाली। |
| | 4 | प्रकाश पुत्र स्व0 कन्हैयालाल जाति श्रीगौड़ नि0 730 गुरूवारपेट शिवाजी रोड राष्ट्रभूषण चौक, पूना (महाराष्ट्र) 411042 |
| | 5 | राजेन्द्र पुत्र स्व कन्हैयालाल जाति श्रीगौड ब्राहम्ण नि0 चौगानियों का बास सोजतसिटी तह0 सोजत जि0 पाली। |
| | 7 | तहसीलदार, भूमिधारक सोजत |

## राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित।
2. श्री ताराचंद भाटी अधिवक्ता अप्रार्थीगण, संख्या 02 व 05 उपस्थित।
3. श्री रमेश टांक अधिवक्ता अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित।
4. श्री आनन्द भाटी अधिवक्ता अप्राथी संख्या 03 उपस्थित।

दिनांकः 30/05/23

### –: निर्णय :–

अधिवक्ता प्रार्थीया ने राजस्व प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 का विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम व द्वितीय तह0 सोजत में रिवाइज सेटमेंट से पूर्व एवं सेटलमेंट के पश्चात नये खसरा नंबरान की कृषि भूमि स्थित है। सोजत चक प्रथम के सेटलमेंट के पूर्व के खसरा नंबर 531 / 3 जिनसे नये खसरा नंबर 3637 बने व पुराने खसरा नंबर 456 / 3 के नये खसरा नंबर 3680, पुराने खसरा नंबर 456 मिन के नये खसरा नंबर 3686 कायम हुए कुल रकबा 2.7600 है0 की भूमि स्थित है। जो कि राजस्व रेकर्ड के खसरा मिलान से स्पष्ट है। लेकिन वर्तमान में खसरा नंबर 3637 रकबा 1.9500 है0 की कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड खसरा नंबर 3637 / 1 दर्ज कर 0.04400 है0 की कृषि भूमि को सड़क परिवर्तन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अवाप्त किया गया है। मौजा सोजत चक 2 के सेटलमेंट से पूर्व के खसरा नंबर 1546 / 2, 1546 / 1 जिनके नये खसरा नंबर 60 72 कायम हुए जिनका कुल खसरा 2 कुल रकबा 3.9600 है0 । इसी प्रकार पुराने खसरा नंबर 1349, 1350 के नये खसरा नंबर 610, 613, 641 कायम हुए जिनका कुल खसरा 3 कुल रकबा 3.8300 है0 है, जो कि राजस्व रेकर्ड के खसरा मिलान से स्पष्ट है। उक्त वर्णित सोजत चक प्रथम व द्वितीय की कृषि भूमि प्रार्थीनी व अप्रार्थी संख्या 3 से 5 के दादा छगनलाल पुत्र शिम्भूराम की पैतृक कृषि भूमि है, जो राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी सोजत चक प्रथम व द्वितीय के परगना भर्वमेंट द्वारा जारी सम्वत 1997 की जमाबंदी से स्पष्ट है। जिसमें प्रार्थीनी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार छगनलाल की वंशावली में विधिक उत्तराधिकारी है। जिसमें

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

प्रार्थीनी का अपने जन्म के कारण पैतृक कृषि भूमि में हक हिस्सा निहित है। प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी संख्या 3 से 5 के दादा मुल पुरूष छगनलाल पुत्र शिम्भुराम (फौत) की वंशावली एवं राजस्व अनुसार छगनलाल पुत्र शिम्भुराम (फौत) की पुत्रान एवं धुलीबाई पत्नि छगनलाल(फौत), शंकरलाल, कन्हैयालाल, चुन्नीलाल, नन्दराम, मोहनलाल पि0 छगनलाल, कमला, गीता, पुरूषोत्तम, प्रकाश, राजेन्द्र पि0 कन्हैयालाल है। प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी संख्या 3 से 5 गीता के दादा छगनलाल पुत्र शिम्भुराम व उनकी पत्नि धुलीबाई का स्वर्गवास हो चुका है तथा उनके उतराधिकारी में पांच पुत्र शंकरलाल, कन्हैयालाल, चुन्नीलाल, नन्दराम, मोहनलाल हुए जिसमें से प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी संख्या 3 से 5 के पिता कन्हैयालाल का स्वर्गवास दिनांक 22.04.2000 को हो चुका है। कन्हैयालाल के उतराधिकारी में प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी संख्या 3 से 5 व गीता हुए। सोजत चक प्रथम के सेटलमेंट के पूर्व के खसरा नंबर 531/3 जिनसे नये खसरा नंबर 3637 बने व पुराने खसरा नंबर 456/3 के नये खसरा नंबर 3680, पुराने खसरा नंबर 456 मीन के नये खसरा नंबर 3686 कायम हुए, जिनका कुल खसरा 3 कुल रकबा 2.7600 है0 है। इसी प्रकार सोजत चक 2 के सेटलमेन्ट से पूर्व के खसरा नंबर 1546/1, 1546/2 जिनके नये खसरा नंबर 60 72 कायम हुए जिनका कुल खसरा 2 कुल रकबा 3.3600 है0 है। इसी प्रकार सोजत चक द्वितीय के पुराने खसरा नंबर 1349 व 1360 के नये खसरा नंबर 610, 613, 614 कायम हुए, जिनका कुल खसरा 3 कुल रकबा 3.8300 है0 है। जो कि राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी सम्वत 1997 में दर्ज छगनलाल पुत्र शिम्भुराम के नाम से दर्ज है। प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी संख्या 3 से 5 गीता के दादा छगनलाल ने अपने जीवनकाल में ही अपने पांचो पुत्र शंकरलाल, कन्हैयालाल, नन्दराम, मोहनलाल, चुन्नीलाल को माफिक हिस्से मौखिक रूप से सुपुर्द कर दी तथा उसके पश्चात पांचों भाईयो ने अपने पिता द्वारा प्राप्त पैतृक कृषि भूमि में हिस्से माफिक अपने अपने हिस्से पर मौखिक रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। इस प्रकार प्रार्थीनी के दादा छगनलाल की मृत्यु होने पर उपरोक्त कृषि भूमि में प्रार्थीनी के पिता कन्हैयालाल के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुई। चूंकि उपरोक्त कृषि भूमि प्रार्थीनी की पैतृक कृषि भूमि है, जिसमें प्रार्थीनी का भी हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार भी पैतृक कृषि भूमि में हक हिस्सा निहित हो चुका था। सरहद मौजा सोजत चक प्राथम में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि के वर्तमान खसर नंबर 3637, 3686, 3680 रकबा 2.7600 है0 की सम्पूर्ण कृषि भूमि जो कि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी सम्वत 2054 से 2057 में कन्हैयालाल के नाम से दर्ज थी। इसी प्रकार सोजत चक 2 के वर्तमान खसरा नंबर 60 व 72 की कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी सम्वत 2054 से 2057 में कन्हैयालाल के नाम दर्ज थी। जिसमें प्रार्थीनी के पिता कन्हैयालाल द्वारा दिनांक 30.08.1999 को विधि विरूद्ध तरीके से उपरोक्त कृषि भूमि जो कि प्रार्थीनी की पैतृक कृषि भूमि है, जिसमें कन्हैयालाल को मात्र अपने हिस्से को ही बेचान हस्तान्तरण वसीयत करने का अधिकार था। यह जानते हुए कि उपरोक्त कृषि भूमि मे प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी संख्या 3 से 5 की पैतृक कृषि भूमि है, उसको गलत तरीके से अप्रार्थी संख्या 2 ने फर्जी एवं कूटरचित तरीके से प्रार्थीनी की पैतृक कृषि भूमि के हक हिस्से को हड़प करने की नियत से अप्रार्थी संख्या 2 ने गलत रूप से उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में म्यूटेशन संख्या 1418, 2144 इन्द्राज करवाकर अप्रार्थी संख्या 2 ने उपरोक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि अपने नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवा दी। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से इन्द्राज करवायी है, जो कि प्रार्थीनी की खातेदारी हक हकूक के विरूद्ध होने से ऐसे नामान्तरकरण भी एबईनिश्यों वोईड है व अप्रार्थी संख्या 2 के नाम विधि विरूद्ध रूप से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुई है, ऐसे राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 को प्रार्थीनी के

हक अधिकारों के विरूद्ध किसी प्रकार का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि कन्हैयालाल की स्वअर्जित कृषि भूमि नहीं थी, बल्कि प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी संख्या 3 से 5 की पैतृक कृषि भूमि थी तथा प्रार्थीनी के दादा छगनलाल के स्वर्गवास के पश्चात राजस्व रेकर्ड में कन्हैयालाल ने गलत तरीके से प्रार्थीनी का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं करवाकर अपने नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार इन्द्राज करवा दिया। ऐसा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज भी विधि विरूद्ध है। इसी प्रकार सोजत चक द्वितीय के वर्तमान खसरा नंबर 610, 613, 614 की कृषि भूमि प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी संख्या 3 से 5 के दादा छगनलाल की कृषि भूमि थी, जो कि प्रार्थीनी की पैतृक कृषि भूमि थी। जिसमें भी प्रार्थीनी का हक हिस्सा निहित था। लेकिन उपरोक्त कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 3 से 5 ने गलत तरीके से राजस्व रेकर्ड में मिलावट करके प्रार्थीनी के हक हिस्से को हडप करने की नियत से बिना वारिसानों की जांच करवाये तथा यह जानते हुए कि उपरोक्त कृषि भूमि में प्रार्थीनी का भी हक हिस्सा है, गलत तरीके से विधि विरूद्ध रूप से राजस्व रेकर्ड में अपने नाम गलत रूप से म्यूटेशन इन्द्राज करवाकर राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदारी में इन्द्राज करवा दिया। बल्कि उपरोक्त राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाते समय पटवारी हल्का द्वारा बिना वारिसानों की जांच किये व बिना प्रार्थीनी को कोई नोटिस या सूचना नहीं दी गई, बल्कि राजस्व रेकर्ड में कन्हैयालाल के सम्पूर्ण हिस्से में अप्रार्थी संख्या 3 से 5 ने 1/3-1/3 हिस्सा दर्ज करवा दिया, जो कि प्रार्थीनी के हक हकूक के विरूद्ध बेअसर व शून्य है। उपरोक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में भी प्रार्थीनी का अपनी पैतृक कृषि भूमि में एवं कन्हैयालाल की विधिक वारिसान होने से भी 1/5 हक हिस्सा खातेदारी हक हकूक का निहित हो चुका था। लेकिन अप्रार्थी संख्या 3 से 5 ने उपरोक्त राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से प्रार्थीनी के हक हिस्से को हडप करने की नियत से प्रार्थीनी के नाम इन्द्राज नहीं करवाने से भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 3 से 5 प्रार्थीनी के 1/5 हक हिस्से को भी हडप करना चाहते है। इस प्रकार वादग्रस्त कृषि भूमि सोजत चक प्रथम के खसरा नंबर 3637, 3680, 3686 रकबा 2.7600 हैक्टर की सम्पूर्ण कृषि भूमि प्रार्थीनी की पुश्तैनी कृषि भूमि होने से 1/5 का 1/6 हिस्सा यानि 1/30 हक हिस्सा व सोजत चक द्वितीय के वर्तमान खसरा नंबर 60 72 रकबा 3.3800 हैक्टर की कृषि भूमि में प्रार्थीनी का 1/5 का 1/6 यानि 1/30 वां हक हिस्सा एवं सोजत चक द्वितीय के खसरा नंबर 610, 613 614 रकबा 3.8300 हैक्टर की कृषि भूमि में प्रार्थीनी का 1/5 हक हिस्सा निहित हो चुका था, लेकिन प्रार्थीनी के पिता द्वारा विधि विरूद्ध रूप से वादग्रस्त कृषि भूमि सोजत चक प्रथम के खसरा नंबर 3637, 3680, 3686 रकबा 2.7600 हैक्टर की सम्पूर्ण व सोजत चक द्वितीय के वर्तमान खसरा नंबर 60 72 रकबा 3.3800 हैक्टर की सम्पूर्ण कृषि भूमि को अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में दिनांक 30.08.1999 को अवैध रूप से वसीयत कर दी गई, जबकि उपरोक्त कृषि भूमि में प्रार्थीनी के पिता को 1/5 हिस्से का 1/6 यानि 1/30 हिस्सा ही बेचान बक्शीस वसीयत रहन आदि करने का अधिकार था। इसलिए प्रार्थीनी के पिता कन्हैयालाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में की गई वसीयत दिनांक 30.08.1999 प्रार्थीनी के हक अधिकारों के विरूद्ध होने से प्रारम्भ से एबइनिशियो वोईड एवं शून्य है। इसलिए प्रार्थीनी राजस्व रेकर्ड में वादग्रस्त कृषि भूमि में अपने हिस्से माफिक खातेदारी घोषणा करवाने की अधिकारिणी है। मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा नंबर 3637, 3680, 3686 रकबा 2.7600 हैक्टर व सोजत चक द्वितीय के वर्तमान खसरा नंबर 60 72 रकबा 3.3800 हैक्टर की कृषि भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थीनी के हक हिस्से को हडप करने की नियत से उपरोक्त कृषि भूमि जो कि कन्हैयालाल की स्वअर्जित कृषि भूमि नहीं थी, को जानते हुए भी गलत रूप से उपरोक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि को दिनांक 30.08.1999 को

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में गलत तरीके से वसीयत निष्पादित कर पंजीयन करवा दी। जो कि ऐसी वसीयत दिनांक 30.08.1999 के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 को प्रार्थिनी की कृषि भूमि में प्रार्थीनी के हक हिस्से के विपरित होने से शून्य एवं एबईनिश्यों वोईड है तथा अप्रार्थी संख्या 2 ने विधि विरूद्व रूप से दिनांक 30.08.1999 की वसीयत जो कि यह जानते हुए भी कि उपरोक्त वसीयत में अंकित वादस्थ कृषि भूमि में प्रार्थीनी का हक हिस्सा है, जो गलत रूप से दिनांक 12.06.2006 को अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर केलीदेवी पत्नि प्रेमचंद व पतासी पत्नि ओगड़राम को सोजत चक प्रथम के खसरा नंबर 3637 की सम्पूर्ण कृषि भूमि जो विधि विरूद्व रूप से बेचान पंजीयन के आधार पर केलीदेवी पत्नि प्रेमचंद व पतासी पत्नि ओगड़राम प्रतिवादी संख्या 7 व 8 है ने राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से अपने नाम जरिए नामान्तरकरण संख्या 2175 में प्रत्येक ने 1/3–1/3 हिस्सा इन्द्राज करवा दिया व उसके पश्चात केली देवी ने विधि विरूद्व रूप से खसरा नंबर 3637 मे 1/3 हिस्से को सायरी पत्नि प्रकाशचन्द्र अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 08.05.2007 को अवैध रूप से बेचान पंजीयन करवा दिया गया। उक्त विधि विरूद्व रूप से हुए बेचान पंजीयन दिनांक 08.05.2007 के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्व रेकर्ड में जरिए नामान्तरकरण संख्या 3641 अपने नाम विधि विरूद्व रूप से दर्ज करवा दिया। इसी प्रकार पतासी पत्नि ओगड़राम द्वारा विधि विरूद्व रूप से सोजत चक प्रथम के खसरा नंबर 3637 में 1/3 हिस्से को दिनांक 24.07.2007 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में अवैध रूप से बेचान पंजीयन करवा दिया व उस अवैध दस्तावेज दिनांक 24.07.2007 के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्व रेकर्ड में अवैध रूप से नामान्तरकरण संख्या 2396 के जरिए बतौर खातेदार इन्द्राज करवा दिया गया। इस प्रकार वादस्थ कृषि भूमि में सोजत चक प्रथम के खसरा नंबर 3637 जो कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा गलत रूप से केली देवी पत्नि प्रेमचंद व पतासी पत्नि ओगड़राम के पक्ष में दिनांक 12.06.2006 को बेचान पंजीयन व इसी प्रकार केली देवी व पतासी देवी द्वारा दिनांक 08.05.2007 व दिनांक 24.07.2007 को बेचान पंजीयन करवा दिया। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा केली देवी पत्नि प्रेमचंद व पतासी पत्नि ओगड़राम द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किये गये वादस्थ कृषि भूमि के सम्बन्ध में बेचान दस्तावेज प्रार्थीनी की पैतृक कृषि भूमि में हक हिस्से के विपरित होने से प्रारम्भतः एबईनिश्यों वोईड एवं शून्य है व अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राजस्व रेकर्ड में अवैध रूप से किये गये नामान्तरकरण संख्या 2176, 2341, 2356 भी प्रार्थीनी के हक हकूकों के विपरित होने से एबईनिश्यों वोईड है। क्योंकि वादस्थ कृषि भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थीनी के पिता द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में दिनांक 30.08.1999 को वसीयत की गई। जब राजस्व अधिकारियों को पैतृक कृषि भूमि में वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने पर उनके तमाम विधि वारिसानों की जांच करके ही राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करना चाहिए था, जबकि ऐसी किसी प्रकार की जांच नही की गई, जो कि प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरित जा कर राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से अप्रार्थी संख्या 2 के नाम इन्द्राज किये गया। क्योंकि प्रथम तो अप्रार्थी संख्या 2 को प्रार्थीनी की पैतृक कृषि भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 केली देवी पत्नि प्रेमचंद व पतासी पत्नि ओगड़राम को उपरोक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि को कतई बेचान करने का अधिकार नही था। इस प्रकार वादस्थ कृषि भूमि के सम्बन्ध में वर्तमान में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज है, जो विधि विरूद्व है। सरहद मौजा सोजत चक 2 के वर्तमान खसरा नंबर 63 64 व खसरा नंबर 62 70 71 की कृषि भूमि भी सेटलमेंट के पूर्व राजस्व रेकर्ड में छगनलाल पुत्र रिम्मुराम के नाम दर्ज थी, उसके पश्चात उपरोक्त कृषि भूमि में प्रार्थीनी के पिता कन्हैयालाल के नाम दर्ज हुई। उपरोक्त कृषि भूमि भी

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

प्रार्थीनी की पैतृक कृषि भूमि थी, जो कि राजस्व रेकर्ड की सेटलमेंट से पूर्व की जमाबंदी से स्पष्ट है। उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड मे भी खसरा नंबर 63 व 64 में वक्त म्यूटेशन इन्द्राज करते समय राजस्व रेकर्ड में बिल्कुल सही तरीके से प्रार्थीनी का नाम बतौर खातेदार इन्द्राज शुदा है। इसी प्रकार खसरा नंबर 63 70 71 के राजस्व रेकर्ड में भी कन्हैयालाल की मृत्यु होने पर फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 2490 दिनांक 26.08.2010 को इन्द्राज हुआ, जिसमें भी प्रार्थीनी का बतौर खातेदार इन्द्राज शुदा है। जिससे भी स्पष्ट है कि उपरोक्त पैतृक कृषि भूमि जो वाद पत्र में वर्णित की है। जिसमें प्रार्थीनी का नाम राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थीगण द्वारा यह जानते हुए भी उपरोक्त कृषि भूमि में भी प्रार्थीनी का हक हिस्सा है व बिना प्रार्थीनी की सहमति एवं स्वीकृति के बाले माले गलत रूप से उसके हक हिस्से को हड़प करने की नियत से प्रार्थीनी का नाम बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं करवाया है। जिससे भी स्पष्ट है कि उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि प्रार्थीनी की पैतृक कृषि भूमि होने से प्रार्थीनी का हक हिस्सा निहित है। सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय के खसरा नंबर 62 70 71 व सोजत चक प्रथम के खसरा नंबर 3637 के सम्बन्ध में राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 14 को अभी हाल ही में चौड़ा करने एवं फोर लाईन करने के प्रयोजन में उपरोक्त कृषि भूमि में से भूमि अवाप्ति अधिकारी महोदय द्वारा अवाप्त की गई। जिसकी मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु प्रार्थीनी द्वारा दिनांक 24.12.2013 को भूमि अवाप्ति अधिकारी के यहां से उपरोक्त कृषि भूमि में अपने हिस्से माफिक खसरा नंबर 62 70 71 मुआवजा राशि प्राप्त की। खसरा नंबर 3637 के सम्बन्ध में मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु कहने पर प्रार्थीनी के नाम राजस्व रेकर्ड के दस्तावेज पेश करने हेतु कहा तब प्रार्थीनी द्वारा दिनांक 26.12.2013 को उक्त कृषि भूमि की तथा वाद पत्र में वर्णित वादस्थ कृषि भूमि की वर्तमान राजस्व रेकर्ड की जमाबंदियाँ नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 26.12.2013 को प्राप्त करने पर प्रार्थीनी को सर्वप्रथम जानकारी हुई कि उपरोक्त कृषि भूमि में प्रार्थीनी का नाम बतौर खातेदार इन्द्राज नहीं है, तब सर्वप्रथम यह जानकारी में आया उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि में प्रार्थीनी के पिता द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में दिनांक 30.08.1999 को गलत रूप से वसीयत पंजीयन की गई व अप्रार्थी संख्या 2 ने विधि विरुद्ध रूप से उक्त विधि विरुद्ध वसीयत के आधार पर राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से अपने नाम जरिए म्यूटेशन संख्या 2144 में बतौर खातेदार इन्द्राज करवाने एवं उसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 केली देवी पत्नि प्रेमचंद व पतासी पत्नि ओमप्रकाश जो मूल वाद में प्रतिवादी संख्या 7 व 8 है के पक्ष में दिनांक 12.06.2006 को बेचान पंजीयन करने से एवं केली देवी पत्नि प्रेमचंद व पतासी पत्नि ओमप्रकाश द्वारा दिनांक 08.05.2007 व दिनांक 24.07.2007 को अवैध रूप से बेचान पंजीयन करवाकर सोजत चक प्रथम में खसरा नंबर 3637 की सम्पूर्ण कृषि भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 को विधि विरुद्ध रूप से बेचान कर दी उसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 अवैध रूप से राजस्व रेकर्ड में अपने नाम से जरिए नामान्तरकरण संख्या 2386 के आधार पर राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज करवा दिया। तब प्रार्थीनी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 से 5 गीता से सम्पर्क करने पर यह जानकारी में आया कि उपरोक्त कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थीनी के हक हिस्से को हड़प करने की नियत से उपरोक्त कृषि भूमि को गलत तरीके से दिनांक 30.08.1999 को विधि विरुद्ध रूप से सम्पूर्ण वादस्थ कृषि भूमि के सोजत चक प्रथम के खसरा नंबर 3637, 3680 3686 बाबत व सोजत चक द्वितीय के खसरा नंबर 60 72 की सम्पूर्ण कृषि भूमि बाबत अप्रार्थी संख्या 2 ने दिनांक 30.08.1999 के आधार पर अपने नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवा दी तथा उपरोक्त कृषि भूमि में खसरा नंबर 3637 की कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 केली देवी पत्नि प्रेमचंद व पतासी पत्नि ओमप्रकाश को बेचान कर दी

उपकाउंड अधिकारी

गई है तब प्रार्थीनी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि सोजत चक द्वितीय के खसरा नंबर 610, 613, 614 में भी अप्रार्थी संख्या 3 से 5 को राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज नहीं होने बाबत सम्पर्क दिनांक 27.12.2013 को किया तो अप्रार्थी संख्या 3 से 5 ने भी प्रार्थीनी को उक्त पैतृक कृषि भूमि में हक हिस्से को मानने से इन्कार हो गये। इस प्रकार अप्रार्थीनगण तमाम संख्या 1 से 5 वादग्रस्त कृषि भूमि को आगे से आगे विधि विरूद्ध रूप से बेचान हस्तान्तरण करने पर आमादा है। इस प्रकार अभिवक्ता मय प्रार्थीनी द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेज पेश कर अप्रार्थीनगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाने की कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि भूमि सोजत चक प्रथम के वर्तमान खसरा नंबर 3637, 3660, 3686 कुल खसरा 03 कुल रकबा 2.7200 हैक्टर तथा सोजत चक द्वितीय के वर्तमान खसरा नंबर 60 72 कुल खसरा 2 कुल रकबा 3.3600 है0 व खसरा नंबर 610 613 614 कुल खसरा 03 कुल रकबा 3.8300 है0 में प्रार्थीनी के हक हिस्से की कृषि भूमि के कब्जा काश्त, उपभोग, उपयोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी, व्यवधान, बाधा, अड़चन पैदा नहीं करने एवं न ही किसी प्रतिनिधि एजेन्ट आदि से कराने तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 5 उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि को किसी भी व्यक्ति को बेचान हस्तानान्तरण बक्सीस, रहन वसीयत इत्यादि नहीं करने और न ही किसी नोकर एजेन्ट आदि से कराने के लिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये ईस्तदुआ की है।

जवाब प्रा0 पत्र में अप्रार्थी संख्या 2 व 5 की ओर से प्रारंभिक आपत्तियों के साथ अंकित किया कि प्रार्थीया को अपने पिता की मृत्यु की पूर्ण जानकारी थी। पिता द्वारा की गई वसीयत की भी पूर्ण जानकारी थी तथा प्रार्थीया के पिता का स्वर्गवास सन 2000 में हो गया था एवं प्रार्थीया ने वाद सन 2013 में पेश किया है । जिससे प्रार्थिया का प्रा0 पत्र कालबाधित एवं म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। प्रार्थीया ने अपने प्रा0 पत्र में अंकित किया कि अन्य सम्पतियों में उनका नाम इन्द्राज हुआ जो माफिक वसियत इन्द्राज सही है तथा अन्य इन्द्राज विधि विरूद्ध होने से अप्रार्थी के अधिकारों के विरूद्ध बेअसर व शून्य है। प्रार्थीया का नाम हटाने की अलग से कार्यवाही करने का अप्रार्थीगण अपना अधिकार सुरक्षित रखते है। वादग्रस्त जोत जैसा कि प्रा0 पत्र में अभिवचन किया गया है उसके अनुसार उक्त तमाम कृषि भूमि शामिलाति थी तथा पक्षकारों की सहमति से आपसी विभाजन होकर अलग अलग कृषि जोत खाते में दर्ज कर उस पर खातेदारान का कब्जा करवा दिया गया जो कब्जा 45 वर्षों से अधिक समय से खातेदारान का मौके पर चला आ रहा है। जिससे विभाजन के पश्चात एक मात्र खातेदार का कब्जाकाश्त होने से रेकर्डेड खातेदार प्रतिकूल कब्जे से भी खातेदार काश्तकार हो चुके है। जिससे भी प्रार्थीया का वाद पोषणीय नही होने से खारिज होने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 2 को विभाजन के पश्चात उसके दादा द्वारा सम्पति वसीयत से प्राप्त हुई तथा उक्त वसीयत को अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली के दिनांक 28.02.2005 अपील संख्या 15/2004 व न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर में अपील संख्या 29/2006 में म्यूटेशन संख्या 1418 जो तहसीलदार सोजत द्वारा भरा गया उसे सक्षम न्यायालय द्वारा पुष्ट कर दिया गया है । जिससे अब किसी न्यायालय में चुनौति देने का अधिकार प्रार्थीया को नही होने से प्रार्थीया का प्रा0 पत्र खारिज योग्य है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 के अनुसार कोई खातेदार अभिधारी जोत या उसके किसी भाग में अपने हित को उस स्वीय विधि के अनुसार जिसके अध्याधीन वह है विल द्वारा वसीयत कर सकेगा। जिससे धारा 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान आकर्षित नहीं होते है क्योंकि खातेदार कन्हैयालाल ने अपने

कार्यवाहक अधिकारी
सोजत

मृत्यु के पूर्व वसीयत स्वीय विधि के अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में कर दी थी। जिससे वाद हाजा पोषणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य है। वाद कारण पैदा नहीं होने से बिना वाद कारण के पेश किया गया वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत खारीज योग्य है। प्रार्थीया ने पैतृक सम्पति बताते हुए वंशावली वर्णित की है परन्तु तत्कालीन खातेदारान यानि सैटलमेंट के पूर्व संयुक्त जोत के तमाम खातेदारान या उनके वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है जिससे वाद पक्षकारो के कुसंयोजन के कारण चलने योग्य नहीं है। संयुक्त जोत के तमाम खातेदारों को पक्षकार बनाये बिना कतई वाद चलने योग्य ही है। प्रार्थीया वादग्रस्त जोत की खातेदार काश्तकार नही है तथा प्रार्थीया द्वारा खातेदार काश्तकार के विरूद्ध किया गया वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज होने योग्य है तथा एक अजनबी व्यक्ति एक खातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा या अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है जिससे भी वाद खारिज योग्य है। प्रार्थीया ने मात्र अप्रार्थी संख्या 2 के खाते में दर्ज खसरान की भूमि बाबत ही वाद पेश किया है जबकि सैटलमेन्ट के पूर्व उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी की थी तथा विभाजन होकर तमाम खातेदारो के खाते में अलग अलग खातो में गई है जिससे संयुक्त खातेदार को या उनके वारिसान को पक्षकार बनाये बिना वाद चलने योग्य नही है। प्रार्थीया ने समस्त जोत का वाद पेश न करके मात्र अप्रार्थी संख्या 2 के खाते में दर्ज जोत बाबत ही वाद पेश किया है जो चलने योग्य नही है। म्यूटेशन संख्या 1415 व 2144 दोनो ही सुनवाई का अवसर देकर पारित किये गये है व द्वितीय अपील तक उक्त नामान्तरकरण के आदेश विधि अनुसार सक्षम न्यायालय ने तय कर दिये है जिससे प्रार्थीया का वाद धारा 11 सीपीसी कर परिधि में आने से चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीया का वाद धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का [illegible] तथा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में तहसीलदार, सोजत को पक्षकार बनाया है। तहसीलदार, सोजत भूमि धारक एवं राजकीय अधिकारी होने से उनके विरूद्ध वाद लाने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का वैधानिक नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है परन्तु प्रार्थीया ने वैधानिक नोटिस के अभाव में तथा न्यायालय की अनुमति लेने हेतु धारा 80 (2) सीपीसी में कोई प्रार्थना पत्र पेश न तो किया है न ही न्यायालय की अनुमति प्राप्त की है जिससे कानूनन धारा 80 सीपीसी के नोटिस के अभाव में वाद खारिज होने योग्य है। अन्य कानूनी उजरात बवक्त बहस अर्ज किये जायेंगे। प्रार्थीया ने अपने प्रा0 पत्र में तथा वसीयत में उल्लेखित तथ्यों से बखूबी साबित है कि उसका वादग्रस्त जोत में कोई हक हिस्सा नही होने से प्रार्थीया का प्रा0 पत्र पोषणीय नही होने से खारिज योग्य है। प्रार्थीया ने बिना किसी आधार के बिना किसी अधिकार के दस्तावेजो के विरूद्ध बिल्कुल ही वैक्सीयस वाद अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया है जो प्रथम दृष्टया खारिज होने योग्य है। प्रार्थीया को वाद में कतई सफलता प्राप्त नही होगी। प्रार्थीया का यह लिखना है कि सरहद मौजा ग्राम सोजत चक प्रथम एवं द्वितीय तहसील सोजत में रिवाईज सैटलमेंट के पूर्व एवं सैटलमेंट के पश्चात नये खसरा कृषि भूमि जो वाद में वर्णित की गई है जिसके अनुसार पुराने खसरा नंबर 531/3 के नये खसरा नंबर 3637 व पुराने खसरा नंबर 456/3 के नये खसरा नंबर 3680 बनना गलत लिखा है जबकि सैटलमेंट के पूर्व की जमाबन्दियों में खसरा नंबर 456 ही अंकित है तथा खसरा मिलान भी उक्त खसरा 456/2 से बनना बताया गया है। पुराने खसरा नंबर 456 मीन से नये खसरा नंबर 3686 खसरा मिलान में अवश्य दर्ज है परन्तु वास्तविक नम्बर 456 ही है जो कुल खसरा 3 जिसका कुल रकबा 2.7600 है0 भूमि होना

सही है। प्रार्थीया का यह लिखना कि खसरा नंबर 3637 रकबा 1.0500 है0 की कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड खसरा नंबर 3637/1 दर्ज कर 0.0440 है0 कृषि भूमि संलग्न परिवर्तन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अवाप्त किये जाने की जानकारी अप्रार्थीगण को नही होने से अस्वीकार है। सोजत चक द्वितीय के सैटलमेंट से पूर्व खसरा नंबर 1546/2 व 1546/1 के हाल खसरा नंबर 60 व 72 कायम होना अंकित किया है तथा जिनका कुल क्षेत्रफल 3.3800 है0 होना बताया है परन्तु राजस्व रेकर्ड व खसरा मिलान में उक्त रकबा मिलान नही करता है हालंकि वर्तमान जमाबंदी में खसरा नंबर 60 व 72 का कुल रकबा 3.3800 है0 अवश्य दर्ज है जो कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 2 की हक हकूक खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है। प्रार्थीया का यह लिखना कि सोजत चक नं0 2 के पुराने खसरा नबर 1349 व 1350 के नये खसरा नंबर 610, 613, 614 कायम हुए लिखना सर्वथा गलत है। पुराने खसरा नमबरो से नये खसरा नंबर 609 रकबा 3.5000 हैक्टर, 610 रकबा 0.03000 हैक्टर, 611 रकबा 2.2000 हैक्टर, 612 रकबा 1.6300 है0, 613 रकबा 1.7700 हैक्टर, 614 रकबा 1.7600 हैक्टर कुल 06 खसरे निर्मित हुए तथा खसरा नंबर 609 मोहनलाल वल्द छगनलाल के हिस्से में आकर उसकी खातेदारी में इन्द्राज हुआ। खसरा नंबर 610 अप्रार्थी संख्या 2 के दादा कन्हैयालाल के हिस्से में आया व उसकी खातेदारी इन्द्राज हुआ। खसरा नंबर 611 शंकरलाल वल्द छगनलाल के हिस्से में आकर उसकी खातेदारी में इन्द्राज हुआ। खसरा नंबर 612 भी शंकरलाल के खाते में इन्द्राज हुआ। खसरा नंबर 613 अप्रार्थी संख्या 2 के दादा कन्हैयालाल के हिस्से में आकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ एवं खसरा नंबर 614 भी अप्रार्थी संख्या 2 के दादा कन्हैयालाल के हिस्से में आकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ। इस प्रकार प्रार्थीया ने मात्र अप्रार्थी संख्या 2 को हैरान व परेशान करने की नियत से तथ्यों को छुपाते हुए तथा आपसी सहमति से राजस्व रेकर्ड में हुए इन्द्राज व भूमियो को छुपाते हुए मात्र अप्रार्थी संख्या 2 की हक हकूक खातेदारी की भूमि बाबत ही प्रा0 पत्र पेश किया जो कतई चलने योग्य नही है। इस प्रकरण में जो पुराने खसरा नंबर अंकित किये है एवं उसके नये नंबर की भूमि जिन खातेदारो के खाते में गई उनमें मोहनलाल, शंकरलाल, चुन्नीलाल, नन्दराम, कन्हैयालाल तमाम की संयुक्त खातेदारी की भूमि का आपसी सहमति से विभाजन होकर सभी एक मात्र खातेदार काश्त हो गये तब से उक्त तमाम वर्णित कृषि भूमिया विभाजन अनुसार उनकी स्वअर्जित सम्पति है जैसा कि खसरा मिलान के खसरा संख्या 60 के आगे अंकन किया हुआ है पुराने खसरा नंबर में पांचो भाईयो की संयुक्त खातेदारी की भूमि राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी 2026 से 2029 में इन्द्राजसुदा है तथा पांचो भाईका स्वर्गवास हो चुका है परन्तु इनमें से किसी भी खातेदार के वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया है जिससे पक्षकारों के कुसंयोजन के कारण प्रा0 पत्र चलने योग्य नही है। इसी प्रकार सोजत चक न 1 की भी तमाम कृषि जोतो का वाद नही किया है मात्र अप्रार्थी संख्या 2 के खाते में जो भूमिया दर्ज हुई है उसी बाबत वाद पेश किया है। तमाम भूमिया का वाद व उसका विभाजन इत्यादि के तमाम दस्तावेज जानबूझ कर प्रस्तुत नही किये गये है तथा समस्त भूमियो का वाद नहीं होने से वाद चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीया का यह लिखना सर्वथा गलत है कि सोजत चक 1 व 2 की कृषि भूमि में प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 3 से 6 के दादा छगनलाल वल्द शिम्भुलाल की पैतृक कृषि भूमि होने के कथन सर्वथा गलत है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय स्व0 कन्हैयालाल स्वयं खातेदार काश्तकार थे तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के

प्रभाव में आते ही खातेदार काश्तकार हो चुके थे जिससे दादाजी की सम्पत्ति होने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है तथा पांचो भाईयो के बीच में विभाजन हुए भी 60-70 वर्षो से अप्रार्थी संख्या 2 के दादा के हिस्से आई भूमि पर उनके जीवनकाल तक उनका कब्जा काश्त निरन्तर शान्तिपूर्वक चलता आया है तथा उक्त तमाम तथ्य प्रार्थीया की जानकारी में है प्रथम तो उक्त भूमि कन्हैयालाल की स्वअर्जित भूमि है एवं विभाजन के पश्चात निरन्तर कब्जा होने से अप्रार्थी संख्या 2 के खातेमें दर्ज तमाम खातेदारी भूमि कन्हैयालाल का उनके जीवनकाल तक तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा निरन्तर शान्तिपूर्वक होने से प्रतिकूल कब्जे से भी एकमात्र अप्रार्थी संख्या 2 ही उसके खाते में दर्ज भूमि का एकमात्र काश्तकार है। प्रार्थीया हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार छगनलाल की वंशावली में कतई उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार छगनलाल की वंशावली में कतई उत्तराधिकारी नही है न ही प्रार्थीया का अपने जन्म के कारण पैतृक सम्पति कतई नही है तथा उपरोक्त विवेचन अनुसार उसका कोई हक हिस्सा नहीं आता हैं। प्रार्थीया ने जो वंशावली दर्शाई है उस वंशावली अनुसार राजस्व रेकर्ड में शंकरलाल, कन्हैयालाल, चुन्नीलाल, मोहनलाल, नन्दराम की सामिलाती भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी तथा इन पांचो भाईयो ने आपसी सहमति से विभाजन कर अलग अलग भूमियां अपने अपने नाम दर्ज करवा ली। चूंकि प्रार्थीया पैतृक सम्पति के आधार पर वाद लेकर आयी है तो ऐसी स्थिति में वंशावली में दर्शाये गये तमाम भाईयो के उत्तराधिकारी वाद हाजा में आवश्यक पक्षकार है तथा इनको पक्षकार बनाये बिना कतई वाद पोषणीय नही है। स्व0 कन्हैयालाल ने अपने जीवनकाल में ही अपने वारिसान का बंटवाडा कर अपने वारिसान को काबिज कर दिया था। अप्रार्थी संख्या 2 के पिता कमजोर दिमाग के वयचित है तथा उन्हे कोई भी बात आसानी से समझ में नही आती है तथा अतयन्त मन्दबुद्धि के कारण स्व कन्हैयालाल ने अपने जीवनकाल में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में अपनी स्वअर्जित सम्पति जो आपसी विभाजन से उन्हे प्राप्त हुई थी और एकमात्र खातेदार काश्तकार कानूनन थे उन्होने दिनांक 30.08.1999 को एक रहवासी मकान 3741 व सोजत चक नं0 1 में स्थित भूमि खसरा नंबर 3637 रकबा 1.0500 है0 खसरा नंबर 3680 रकबा 1.0000 है0 खसरा नंबर 3656 रकबा 0.7100 है0 कुल खसरा तीन कुल रकबा 2.7600 है0 की कृषि भूमि व सोजत चक 2 के खसरा नंबर 423 पुराने जिसके नये खसरा नंबर 4412/6316 रकबा 0.6400 है0 जिसका 1/4 हिस्सा यानि 0.1600 है0 भूमि जो भक्तिराम, रामजस जाति अग्रवाल नि0 सोजत वाला से जरिए रजिस्ट्री बेचान दिनांक 19.02.1974 को खरीद की थी व सोजत चक 2 के खसरा नंबर 60 रकबा 1.2600 है0 व खसरा नंबर 72 रकबा 2.1200 है0 कुल खसरा 2 कुल रकबा 3.3800 है0 की कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 2 को जरिए वसीयतनामा कर दी तथा उक्त वसीयत में स्व0 कन्हैयालाल ने स्पष्ट अंकित किया है कि उनके वारिसान तीन पुत्र एवं दो पुत्रियां है तथा पुत्रों को उनके जीवनकाल में ही व्यापार या अन्य कार्य करवाकर उनका हिस्सा दे दिया गया था तथा प्रार्थीया व गीता की शादीयां की और सामाजिक रीतिरिवाज हैसियत अनुसार वस्तुए व धन दिया तथा पुत्रियों दामादों के निजी करोबार सुदृढ करने में आर्थिक सहयोग से सैटल किया। वसीयत में साफ अंकित किया है कि उनके पूर्वजों द्वारा कोई सम्पति उन्हे प्राप्त नही हुई तथा उनकी अंतिम इच्छानुसार ही वसीयतनामा दिनांक 30.08.1999 को लिखा गया। अप्रार्थी संख्या 3, 4, 5 के सोजत चक नंबर 2 में खसरा नंबर 610, 613, 614 की भूमियां हिस्से में आयी है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के पति प्रकाशचंद के खसरा नंबर

3637 रकबा 1.0500 हैक्टर की कृषि भूमि जो अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है। अप्रार्थी संख्या 3 ने वसीयतनामा दिनांक 30.08.1999 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जो म्यूटेशन स्वीकृत हुए उसकी अपील 15/2004 बअनवान पुरूषोत्तम बनाम सचिव श्रीमान जिला कलक्टर महोदय पाली के समक्ष पेश की जो दिनांक 28.02.2005 को खारिज की गई तब अप्रार्थी संख्या 3 ने अपील/पाल/029/2005 न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर के यहां पेश की जो दिनांक 18.03.2008 को निरस्त की जाकर वसीयत बाबत पूर्ण विवेचन करते हुए और वसीयत को विधिपूर्ण मानते हुए अप्रार्थी संख्या 3 की अपील खारिज की गई जिसके विरूद्ध आगे कोई भी कार्यवाही नही हुई जिससे अब उक्त वसीयत सक्षम न्यायालय का खातेदारी इन्द्राज को पुष्ट कर दिया है जिसे इस न्यायालय को पुनः विवेचन का क्षेत्राधिकार नही है तथा वाद धारा 11 सीपीसी की परिधि में आने से पोषणीय नही है। प्रार्थीया ने वंशावली में तमाम वारिसान अवश्य दर्ज किये है लेकिन उनके किसी भी उत्तराधिकारी को प्रा0 पत्र में पक्षकार नही बनाया है जिससे प्रा0 पत्र चलने योग्य नही है। यह लिखना सही है कि पुष्पा देवी और कन्हैयालाल का स्वर्गवास हो चुका है मद में अन्य तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। खसरा नंबर 531/3 व 456/3 जिसके नये खसरा नंबर 3637 व 3650 व पुराने खसरा नंबर 456 के नये खसरा नंबर 3686 कुल खसरा 3 कुल रकबा 2.7600 है0 है। इसी प्रकार नये खसरा नंबर 60 व 72 कुल खसरा 02 कुल रकबा 3.3600 है0 की कृषि भूमि भी अप्रार्थी संख्या 2 की हक़ हकूक खातेदारी की है। इसी प्रकार पुराने खसरा नंबर 1349 व 1350 के कितने नम्बर बने और मालिक विभाजन किन किन व्यक्तियों के खाते में गई उसका भी पूर्ण विवरण पूर्व पदो में दिया जा चुका है। प्रार्थीया स्वयं अपने पांचो पुत्रों को मौखिक रूप से भूमि सुपुर्द करने को लिखा है जबकि राजस्व रेकर्ड में ही इन्द्राज उनके जीवनकाल में हो गये थे। जिससे यह लिखना गलत है कि छगनलाल के मृत्यु के पश्चात पांचो पुत्रों के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुए हो। स्वर्गीय छगनलाल का स्वर्गवास कब हुआ इसका इन्द्राज वादी ने जानबूझ कर नही किया है। इस प्रकार तथ्यों का छुपाते हुए पैतृक कृषि भूमि बताने का असफल प्रयास किया है जबकि सम्भागीय आयुक्त ने उपरोक्त आराजियात की भूमि को अपने निर्णय में कन्हैयालाल की स्वअर्जित सम्पति माना है तथा उक्त वसीयत अब चूंकि पुष्ट हो चुकी है तथा अब उसके अस्तित्व को नकारा नही जा सकता है। जिससे प्रार्थीया का उक्त भूमि को कोई हक हिस्सा नही आता है। वाद खारिज योग्य है। अप्रार्थी संख्या 2 के खाते में दर्ज भूमि सम्वत 2054 से 57 में कन्हैयालाल के नाम से दर्ज थी लिखना गलत है। उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आते ही कन्हैयालाल खातेदार काश्तकार हो चुके थे तथा पूर्व में सामिलाती खाते में दर्ज थी एवं तत्पश्चात विभाजन के बाद करीब 45 वर्षो से कन्हैयालाल के खाते में ही इन्द्राजसुदा थी। इसी प्रकार सोजत चक नं 2 के खसरा नंबर 60 व 72 की भूमि भी राजस्व रेकर्ड में उपरोक्त अनुसार ही इन्द्राज चली आ रही है। प्रार्थीया का यह लिखना सर्वथा गलत है कि दिनांक 30.08.1999 को प्रार्थीया की पैतृक कृषि भूमि को गलत तरीके से अप्रार्थी संख्या 2 ने फर्जी व कूटरचित तरीके से पैतृक कृषि भूमि हड़प करने की नियत से गलत रूप से राजस्व रेकर्ड में म्यूटेशन संख्या 1418 व 2144 इन्द्राज करवा कर भूमि अपने नाम करवा दी के लिखने के तथ्य सर्वथा गलत है। जैसा कि पूर्व पदों में विवेचन किया गया है कि उक्त म्यूटेशन बाबत सक्षम न्यायालय द्वारा कथित वसीयत अनुसार जो स्वीकृत हुए है उसे यथावत रखा है तथा

अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा यदि कोई कूटरचना की गई होती तो प्रार्थीया अवश्य फौजदारी कार्यवाही करती तो आज दिन तक नही की है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीया ने तमाम तथ्य गलत व मनगढ़त किये है तथा नामान्तरकरण कराई एव इन्सयो वोईड नही है क्योंकि सक्षम न्यायालय द्वारा तय किया जा चुका है। प्रार्थीया का यह लिखना भी गलत है कि राजस्व रेकर्ड मे हुए इन्द्राज अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही होते बल्कि अप्रार्थी संख्या 2 ही एकमात्र खातेदार काश्तकार है तथा उसके अधिकारों को चुनौति देने का अधिकार प्रार्थीया को नही है। प्रार्थीया ने पद में अन्य तथ्य भी गलत अंकित किये है तथा प्रार्थीया का कोई हक हिस्सा वादग्रस्त कृषि भूमि में नही आता है यह लिखना भी गलत है कि अप्रार्थी संख्या 3 से 5 ने गलत तरीके से रेकार्ड में मिलावट करके वारिसो की जांच कराये बिना प्रविष्टियां करवायी है। जब अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में वसीयत से म्यूटेशन इन्द्राज हुआ है ऐसी स्थिति में वारिसो की जांच की आवश्यकता नही है। अप्रार्थी संख्या 2 का इन्द्राज बिल्कुल सही हुआ है तथा पटवारी हल्का द्वारा वसीयत के अनुसार इन्द्राज या म्यूटेशन भरते वक्त किसी प्रकार के कोई नोटिस देने का प्रावधान किसी भी विधी में नही है। प्रार्थीया का यह लिखना भी गलत है कि अप्रार्थी संख्या 3 से 5 ने 1/3, 1/3 हिस्सा दर्ज करवा दिया जो गलत अंकित है, हिस्से किस प्रकार दर्ज हुए उकत विवेचन पूर्व पदों में किया जा चुका है। जिससे प्रार्थीया का यह लिखना सर्वथा गलत है कि प्रार्थीया का हिस्सा हड़प करने की नियत से गलत इन्द्राज करवाया हो पद में अन्य वर्णित तथ्यों का भी जवाब उपरोक्त पदों में दिया जा चुका है। प्रार्थीया का यह लिखना सर्वथा गलत है कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया का 1/30 वां हिस्सा या अन्य किसी प्रकार का हिस्सा आता हो पद में बार बार तथ्य रिपीट किये गये है जिसके जवाब की आवश्यकता नही है। पद में वर्णित तमाम तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया किसी प्रकार की खातेदारी घोषणा करने का नाजायज़ कब्जे का वाद लाये बिना उक्त वाद चलने योग्य नही है। वादग्रस्त भूमि स्वअर्जित होने से दिनांक 30.08.1999 को अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में विधि अनुसार वसीयत निष्पादित की है तथा उक्त वसीयत बाबत अपीले भी खारिज हो चुकी है जिससे अब उक्त वसीयत को चैलेंज नही किया जा सकता है। दिनांक 12.06.2006 को अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा विधि अनुसार ही भूमि विक्रय की गई है यदि अप्रार्थी संख्या 2 कोई फर्जीवाड़ा करवाता तो अप्रार्थी संख्या 1 जो अप्रार्थी संख्या 2 के पिता का सगाभाई है वह अपनी पत्नि के नाम की बेचान रजिस्ट्री नही करवाता जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 2 के मालिकाना हक को प्रार्थीया व अप्रार्थीगण तमाम स्वीकार करते है वाद मात्र पैसे ऐंठने की नियत से किया गया है। नामान्तरकरण के जवाब भी पूर्व पदों में दिये जा चुका है। अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा किये गये बेचान की जानकारी नही है इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 8 द्वारा भी किये गये बेचान व नामान्तरकरण की जानकारी मुझ प्रार्थी को नही है। अन्य तथ्य भी रिपीट किये गये है जिनका जवाब भी पूर्व पदों में आ चुका है। पद में वर्णित तमाम तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया का यह लिखना गलत है कि वादग्रस्त सम्पति सैटलमेंट के पूर्व छगनलाल के नाम दर्ज होने तथ्य गलत है। जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया उक्त दिनांक को स्व0 कन्हैयालाल वयस्क थे तथा उनके कब्जा काश्त वादग्रस्त आराजी पर था जिससे वो खातेदार काश्तकार कानूनन हो चुके थे और यह भूमि उनकी पैतृक भूमि है। जैसा कि उपरोक्त पदों में विवेचन किया गया है कि प्रार्थीया व अन्य पुत्री को भी हिस्सा दे दिया गया था उसी हिस्से के अनुसार खसरा नम्बर 63 व 64 में

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

प्राथीया का नाम आया है परन्तु वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थीया का कोई हक हिस्सा नहीं है। खसरा नंबर 62 70 71 की भूमि में यदि म्यूटेशन इन्द्राज प्रार्थीया का हुआ तो गलत हुआ है उसके हिस्से में आयी भूमि पूर्व में उसे दे दी गई है। पद में वर्णित अन्य तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्त भूमि बाबत मांग राशि प्राप्त करने हेतु दिनांक 24.12.2013 को राशि प्राप्त की हो तो उसकी जानकारी मुझ अप्रार्थीगण को नही है। स्व0 कन्हैयालाल ने शहीद भंवरसिंह पेट्रोल पंप के पास स्थित डेरे की भूमि में कीमति होने से उनके हिस्सा दिया था। इसी कारण से लोभवश यह वाद पेश किया है। दिनांक 26.12.2013 को सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त होने के कथन गलत है तथा वसीयत बाबत व वसीयत के अनुसार जो म्यूटेशन इन्द्राज हुए है या भूमि विक्रय हुई है उस बाबतपूर्व मे जबाब दिया जा चुका है। यह लिखना गलत है कि अप्रार्थी संख्या 2 को दिनांक 27.12.2013 या अन्य किसी दिनांक को प्रार्थीया ने किसी प्रकार का ओलम्बा दिया हो तथा अन्य तथ्य भी गलत अंकित किये है। अप्रार्थी संख्या 2 के माफिक वसीयत जो कृषि भूमि खातेदारी इन्द्राज हुई है उसे बेचान हस्तान्तरण करने का उसके पूर्ण अधिकार है। प्रार्थीया आज दिनांक में वादग्रस्त आराजियात के हकदार नही है जिससे वह अप्रार्थी संख्या 2 को बेचान हस्तान्तरण इत्यादि करने कतई नही रोक सकती है। अन्य तथ्य तमाम काल्पनिक व झूठे अंकित किये गये है। तथा जब कन्हैयालाल के जीवनकाल से कब्जा अप्रार्थी संख्या 2 का रहा है और प्रार्थीया अपने ससुराल मे रहती है ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजियात में उसके कब्जे का कोई प्रश्न ही नही है। अप्रार्थी संख्या 2 रेकर्डेड खातेदार है तथा रेकर्डेड खातेदार के विरुद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है प्रार्थीया का प्रा0 पत्र वैक्सीयस है। कन्हैयालाल की मृत्यु के 15 वर्ष बाद प्रा0 पत्र पेश किया है जिससे प्रा0 पत्र म्याद बाहर है। प्रार्थीया किसी प्रकार की खातेदारी घोषणा पाने की अधिकारी नही है न ही अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है। प्रार्थीया का कोई प्रथम दृष्टया मामला नही है। प्रार्थीया ने रेकर्डेड खातेदार के विरुद्ध बिना कब्जे के वाद लाये वाद पेश किया है अप्रार्थी संख्या 2 रेकर्डेड खातेदार है तथा रेकर्डेड खातेदार के विरुद्ध कानूनन किसी प्रकार का स्थगन आदेश नही दिया जा सकता है जिससे अप्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है सुविधा का सन्तुलन भ प्रार्थीया की बजाय अप्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि न्यायालय द्वारा दिनांक 30.12.2013 को किया गया एकपक्षीय आदेश तुरन्त प्रभाव से अपास्त नही किया जाता है तो अप्रार्थीगण को भारी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन कदापि नही आंका जा सकेगा। आदेश 39 नियम 3 की पालना नही होने से आदेश स्वतः ही निरस्त हो चुका है। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीया की बजाय अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अप्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार होने से तथा सैटल पजेशन होने से वादग्रस्त जोत के उपयोग उपभोग बेचान बख्शीस, वसीयत या अन्य किसी प्रकार का हस्तान्तरण करने से कानूनन रोका नही जा सकता है यदि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा0 पत्र खारिज नही किया जाता है तो अब अप्रार्थीगण को अपूर्तनी क्षति होगी जिसका मूल्यांकन कदापि नही आंका जा सकेगा। जैसा कि प्रार्थीया ने अपना पता निवासी भीमालिया तह0 मारवाड जंक्शन हाल पुना महाराष्ट्र अंकित किया है जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त जोत में कब्जा प्रार्थीया का नही है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन और अपूर्तनीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष में नही होने से प्रा0 पत्र काबिल खारिज होने योग्य है। इस प्रकार अधिवक्ता मय अप्रार्थी संख्या 02 व 06 ने जबाब प्रा0 पत्र मय शपथ पेश कर वादग्रस्त कृषि भूमि सोजत चल प्रथम के

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

वर्तमान खसरा नंबर 3637, 3660, 3686 कुल खसरा 03 कुल रकबा 2.7600 हैक्टर की सम्पूर्ण व सोजत चक द्वितीय के वर्तमान खसरा नंबर 60 72 कुल खसरा 02 कुल रकबा 3.3800 हैक्टर व खसरा नंबर 610 613 614 कुल खसरा 03 कुल रकबा 3.8300 है0 भूमि बाबत प्रार्थीया का प्रा0 पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा क सव्यय खारिज किये जाने की ईस्तदुआ की है।

प्रार्थीया के प्रा0 पत्र का दिनांक 23.01.2019 को अधिवक्ता मय अप्रार्थी संख्या 1 सायरी पत्नि प्रकाशचन्द्र की ओर से जबाब पेश कर अंकित किया कि प्रार्थीया को अपने पिता की मृत्यु की पूर्ण जानकारी थी तथा पिता द्वारा की गई वसीयत की भी पूर्ण जानकारी थी तथा प्रार्थीया के पिता का स्वर्गवास सन 2000 में हो गया था एवं प्रार्थीया ने वाद सन 2013 में पेश किया है जिससे प्रार्थीया का प्रा0 पत्र काल बाधित एवं म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। वादग्रस्त कृषि भूमि जैसा कि प्रा0 पत्र में अभिवचन किया गया है उसके अनुसार उक्त तमाम कृषि भूमि सामलाती थी तथा पक्षकारो की सहमति से आपसी विभाजन होकर अलग अलग कृषि जोत खाते में दर्ज कर उस पर खातेदारान का कब्जा करवा दिया जो लगभग 45 वर्षों से अधिक समय से खातेदारान का मौके पर चला आ रहा है जिससे विभाजन के पश्चात एकमात्र खातेदार का कब्जा काश्त होने से रेकर्डेड खातेदार प्रतिकुल कब्जे धारी खातेदार काश्तकार हो चुके है जिससे भी प्रार्थीया का वाद पोषणीय नही होने से खारिज योग्य है। प्रार्थीया वादग्रस्त कृषि भूमि की खातेदार काश्तकार नही है या प्रार्थीया के द्वारा खातेदार काश्तकार के विरूद्ध किया गया वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज होने योग्य है तथा एक अजनबी व्यक्ति एक खातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा या अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी नही है जिससे भी वाद खारिज योग्य है। प्रार्थीया ने मात्र अप्रार्थी संख्या 2 के खाते मे दर्ज खसरान की भूमि बाबत ही वाद पेश किया है जबकि सैटलमेंट के पूर्व उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी की थी तथा विभाजन होकर तमाम खातेदारो के खाते मे अलग अलग खाते में की गई है जिससे संयुक्त खातेदार या उनके वारिसान को पक्षकार बनाये बिना वाद चलने योग्य नही है। प्रार्थीया ने बिना किसी आधार के बिना किसी अधिकार के दस्तावेजो के विरूद्ध बिल्कुल ही निराधार वाद अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया है, जो प्रथम दृष्टया खारिज करने योग्य है, प्रार्थीया को वाद में कतई सफलता प्राप्त नही होगी। खसरा संख्या 3637 का खातेदार काश्तकार अप्रार्थी संख्या 2 है। प्रा0 पत्र के पद संख्या 03 के तथ्यों को गलत होने से अस्वीकार किया है। खसरा संख्या 3637 की खातेदार काश्तकार वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 है तथा मौके पर अप्रार्थी संख्या का कब्जा काश्त है। वादग्रस्त सम्पति पैतृक सम्पति नही है कन्हैयालाल की स्वअर्जित सम्पति है तथा कन्हैयालाल ने अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में वसीयत बिलकुल सही की है तथा वसीयत अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 का नाम रेकर्ड में सही इन्द्राज हुआ है। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने वैधानिक हक अधिकारो के तहत अप्रार्थी संख्या 1 व दावा में प्रतिवादी संख्या 7 व 8 को खसरा संख्या 3637 का विधिवत रूप से बेचान किया है तथा दावा मे प्रतिवादी संख्या 7 व 8 ने अपने वैध अधिकारो के तहत खसरा संख्या 3637 की कृषि भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 1 को किया है। मालिक बेचान अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 3637 पर काबिज काश्त है। अप्रार्थी संख्या 1 रेकर्डेड खातेदार है। वादग्रस्त सम्पति कन्हैयालाल के हक अधिकारो की सम्पति थी, जिससे कन्हैयालाल को उक्त सम्पति का हस्तान्तरण वसीयत इत्यादि करने का पूर्ण अधिकार था तथा कन्हैयालाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में की गई वसीयत कानूनन सही है। उक्त वसीयत के आधार पर ही उक्त सम्पति में अप्रार्थी संख्या 2 का राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज हुए है । मौके पर अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा काश्त होने से अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

संख्या 2 को खसरा नंबर 3637 की कृषि भूमि को बेचान हस्तान्तरण करने का पूर्ण विधिक अधिकार था । अपने विधिक अधिकारो के तहत ही अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्राथी संख्या 1 ने केली देवी पत्नि प्रेमचंद, पतासी पत्नि ओमप्रकाश को बेचान सही किया है तथा उक्त बेचान के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 2178 विधिक जांच कर सही भरा गया नामान्तरकरण संख्या 2341 व 2386 सही भरा गया है. मौके एवं रेकर्ड की जांच कर सही भरा गया है। नामान्तरकरण के आधार पर ही राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 रेकर्डेड खातेदार चली आ रही है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि को विकसित करने हेतु लाखों रुपये व्यय किये है तथा मौके पर तारबंदी भी करवाई गई है। प्रार्थीया ने अप्राथी संख्या 1 को तंग परेशान करने की नियत से गलत एवं झूठा प्रा0 पत्र पेश किया है तथा अप्रार्थी संख्या 1 से रुपये ऐठने की नियत से गलत मनगढ़त बनाया है । प्रार्थीया का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त नही है तथा मौके पर खसरा संख्या 3637 पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त है तथा मौके पर खसरा संख्या 3637 पर तारबंदी की है. प्रार्थी संख्या 1 खसरा संख्या 3637 की रेकर्डेड खातेदार है। रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। प्रार्थिया का प्रा0 पत्र गलत एवं निराधार एवं झूठा है। प्रार्थीया का कोई प्रथम दृष्टया मामला नही है सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में नही है प्रार्थीया ने न्यायालय से एक पक्षीय आदेश गलत प्राप्त किया है। यदि उक्त एक पक्षीय आदेश तुरन्त प्रभाव से अपास्त नही किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 को भारी अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन कदापि नही आंका जा सकेगा। आदेश 39 नियम 3 की पालना नही होने से एकपक्षीय आदेश स्वतः ही निरस्त हो चुका है। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीया की बजाय अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अप्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार होने से तथा रैवन्यू रेकर्ड होने से वादग्रस्त जोत के उपयोग उपभोग बेचान बख्शीश, वसीयत या अन्य किसी प्रकार का हस्तान्तरण करने से कानूनन रोका नही जा सकता है यदि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा0 पत्र खारिज नहीं किया जाता है तो अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन कदापि नही आंका जा सकेगा। इस प्रकार अधिवक्ता मय अप्रार्थीगण संख्या 01 ने जवाब पेश कर प्रार्थीया का प्रा0 पत्र सव्यय खारिज किये जाने की इस्तदुआ की है।

बहस यकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीया ने व्यक्त किया कि रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण हुआ जिसकी अपील एडीएम/ संभागीय आयुक्त न्यायालय में खारिज हुई। वसीयत सही मानी गई वसीयत आज की स्थिति में अस्तीत्व में है और निर्विवादित है. रेकर्डेड खातेदार स्व अर्जित भूमि की वसीयतकर सकता है। कन्हैयालाल को प्रोपर्टीज पुस्तैनी रूप में दादा छगनलाल से प्राप्त हुई है। अपील के समय केवल कन्हैयालाल की सम्पति से अन्य को पक्षकार नही बनाया गया है। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने हस्ब प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादग्रस्त भूमि का अन्य किसी को बेचान रहन अन्य हस्तान्तरण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाकर पाबन्द किये जाने की इस्तदुआ की है। जिसके जवाब में बहस में अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 02 व 05 ने व्यक्त किया कि रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नही की जा सकती है। सम्वत 2054 से 57 में खातेदारी कन्हैयालाल के नाम दर्ज नही होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागु होने के समय ही आ गई थी। हक हिस्सा का निर्धारण अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये नही किया जा सकता है। प्रार्थी ने कब्जा काश्त साबित करने बाबत तथ्य / साक्ष्य पेश नही किया है। प्रा0 पत्र तथा दस्तावेजात के आधार पर प्रा0 पत्र सारहीन व आधारहीन होने से खारिज किये जाने की इस्तदुआ की है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने कथनो के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त/ उद्धरण

पेश किये । 2008 आर आर डी पेज 164. आरआरडी 207 पेज 279, आरआरडी 2008 पार्ट पेज 633 । आरआरडी 2004 पेज 463। इस प्रकार प्रार्थना पत्र के तथ्य एवं दस्तावेजात के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र सारहीन व आधारहीन होने से खारिज किए जाने की ईस्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात, जबाब प्रा0पत्र अधिवक्ता मय अप्रार्थीगण 02 व 03 तथा दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस प्रा0 पत्र बकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः अप्रार्थीगण अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रा0 पत्र के संलग्न प्रस्तुत समस्त दस्तावेजो, तथ्यो स्थितियो परिस्थितियो का मूल वाद में प्रस्तुत जबाब दावा एवं दस्तावेजो के आधार पर तनकियात कायम होकर/साक्ष्य उभय पक्ष रेकर्ड पर लेकर उभयपक्षों के हक अधिकारों का वाद विवेचन/विश्लेषण कर विनिश्चय किया जावेगा। तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चूंकि अप्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार है तथा जिनके पक्ष में रजिस्टर्डेड वसियत पंजीबद्ध है। लिहाजा वर्तमान परिपेक्ष्य में रेकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही की जा सकती है तथा अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त/ उद्धरण भी उचित चस्पा होते है। लिहाजा अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन, सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाना तथा न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 30.12.2013 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाना न्यायोचित समझते

**-: आदेश :-**

अतः दिनांक 30.12.2013 को न्यायालय हाजा द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज करते हुए अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 को सारहीन, आधारहीन, तथ्यहीन व पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(गोपाल जांगिड)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत

निर्णय आज दिनांक 30/05/22 को स्रे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

( गोपाल जांगिड )
उप खण्ड अधिकारी, सोजत